>

Title: Need to address the problems being faced by the sugarcane growers in Uttar Pradesh.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदय, मैं गन्ना किसानों की बात को विस्तार से कहने के लिए इजाजत चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : विस्तार से नहीं होगा।

श्री मुंशी राम : महोदय, अगर बात पूरी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : तब तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मुंशी राम : महोदय, मुझे गन्ना किसानों की बात को विस्तार से कहने के लिए मुझे इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए। If it is unduly long, I will stop it.

श्री मुंशी राम : महोदय, पिछले दो वर्षों में चीनी की पैदावार आवश्यकता से अधिक हुई है। चीनी का उत्पादन हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी की आवश्यकता से अधिक पैदावार हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चार वर्ष पूर्व हमें पाकिस्तान से चीनी आयात करनी पड़ी थी। भारत, जो कि एक कृषि प्रधान देश है, में खाद्य सामग्री का आयात करना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने किसानों को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, उसे देने में हम नाकामयाब रहे हैं। हमारे किसान उत्पादन बढ़ा सकें इसके लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। चीनी का बफर स्टाक हमारे देश में होने के पश्चात इस उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। पिछले दो वर्षों में जब चीनी 22 से 25 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रही थी, उस समय चीनी मिल मालिकों ने एक वर्ष में 200 रूपए से अधिक मुनाफा कमाया। वह मुनाफा बाजार में चीनी का भाव कम होने के पश्चात कम हुआ। मुनाफे में कमी होने से उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। चीनी मिल मालिकों ने अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाया और उसके अध्यक्ष ने एक पत्र सभी माननीय सांसदों को दिनांक 28 मार्च, 2007 को लिखा जिसकी एक प्रति मुझे भी प्राप्त हुई है। इस पत्र के माध्यम से एसोशिएशन के अध्यक्ष ने स्वयं यह माना है कि 25 करोड़ परिवार किसान एवं मजदूर ट्रांसपोर्टेशन आदि कामों से इससे जुड़े हुए हैं। इस भूमि पर गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने यदि गन्ना पैदा करना बंद कर दिया तो इन मजदूरों का क्या होगा और उन पर निर्भर अन्य परिवारों की व्यवस्था कहां से चलेगी।...(व्यवधान) महोदय, मुझे इस बात को विस्तार से कहने की इजाजत दीजिए।

MR. SPEAKER: Sorry, this is not the time. आपने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने आपको मौका दिया है।

श्री मुंशी राम : महोदय, मैं तुंत अपनी बात समाप्त करता हूँ।

महोदय, उद्योगपति लोग इसके माध्यम से 40,000 करोड़ रूपए का कारोबार करते हैं और 2500 करोड़ रूपए का राजस्व सरकार को देते हैं, उन सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की मेहनत का परिणाम है। देश में 475 शुगर फैक्ट्रीज चीनी उत्पादन करती हैं, लेकिन यदि गन्ना किसान गन्ने का उत्पादन बंद कर दे तो शुगर फैक्ट्रीज कैसे चीनी उत्पादन करेंगी? कैसे यह कारोबार चलेगा? एसोशिएशन के अध्यक्ष ने यह पत्र 20 अप्रैल, 2007 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। ...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am very sorry.

श्री मुंशी राम : महोदय, इसमें उन्होंने जो ब्यौरा दिया है कि इसमें उन्हें 530 प्रति क्विंटल रूपए का घाटा हो रहा है, वह बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुराना निर्धारण मूल्य रहा है, 125 रूपए घटाकर भी, हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में उसकी पैरवी नहीं की, भारत सरकार ने भी पैरवी नहीं की। जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उससे भी कम मूल्य गन्ना किसानों को दिया जा रहा है। यह अन्याय है। आज 125 रूपए में जलाने की लकड़ी नहीं मिलती है, आप गन्ने के बात कर रहे हैं। अब चीनी मिलें गन्ने के मूल्य का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं हैं। चीनी मिल मालिकों को 15 दिनों के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान करना चाहिए। ऐसा नहीं होकर दो-दो साल से उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है और न ही उसका ब्याज देने के लिए वे तैयार हैं। मैं अपनी पूरी बात कहने की इजाजत आपसे चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बहस के लिए इस विषय पर नोटिस दें, तब आपको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि यह सही तरीका नहीं है। अभी फाइनेंस बिल पर भी चर्चा होनी है।

श्री मुंशी राम : किसानों को घाटा होता है।

अध्यक्ष महोदय: इतना समय लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।

श्री मुंशी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह रहा हूं। पिछले साल उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 125 रुपए का दाम दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन यह उचित समय नहीं है।

श्री मुंशी राम : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात हाउस के सामने नहीं आएगी तो कैसे इसका निस्तारण होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार को, प्रदेश सरकार द्वारा जो गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है, वह कम किया है, उस सम्बन्ध में जो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, भारत सरकार को पैरवी करनी चाहिए और कम से कम 150 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम निर्धारित करके किसानों को उसका भुगतान कराया जाना चाहिए। आपने गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 81 रुपए और 18 नए पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीस सालों से कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, उसके अनुपात में गन्ना पैदा करने वाले किसानों के लिए किस तरह से आपने यह न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहा है, उस पर तुंत ध्यान दिया जाए।

MR. SPEAKER: Thank you very much. You have raised an important issue, but at the wrong time. रूल्स को भी थोड़ा मानना चाहिए।

Shri Gurudas Dasgupta. He is very keen on this issue.